कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 1295/264/आउशि/अकादमी/2026, भोपाल दिनांक 11 /08/2026

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. सचिव,
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषय –"एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने के संबंध में।

संदर्भ– (1) कार्या. पत्र क्रमांक 504/आउशि/वि.स.शाखा–1/2025 भोपाल, दिनांक 15.07.2025
(2) कार्या. पत्र क्रमांक 1793 दिनांक 26.06.2025
(3) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल का पत्र क्रमांक 1269/एप्को/2026 दिनांक 29.07.2026
(4) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 1/1060665/2026 भोपाल, दिनांक 02.06.2026

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत **"एक पेड़ माँ के नाम"** भारत सरकार का जन एवं सामुदायिक सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका शुभारंभ वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा **विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2024** को एक पौधा रोपित कर किया गया था।

2. "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान को इस वर्ष दिनांक 05 जून से 30 सितम्बर 2026 तक **पूर्ण उत्साह एवं व्यापक रूप** से आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में **ईको क्लब्स** की देखरेख में क्रियान्वित किया जाए।

4. वृक्षारोपण गतिविधियों को पिछले वर्ष की तरह Meri Life (https://merilife.nic.in/) **पोर्टल पर अपलोड** किया जाए।

5. **विद्यार्थियों की सक्रिया भागीदारी** से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर एवं रोपण हेतु उपलब्ध सामुदायिक/सार्वजनिक भूमि अथवा बंजर भूमि पर रोपण किया जाए।

6 पौधा रोपण के समय **ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जिसमें पौधे सुरक्षित रह सकें,** साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थल पर पर्याप्त धूप तथा उचित जल निकासी की व्यवस्था हों।

7. "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी / विद्यार्थियों को **एक पौधा लगाए जाने** तथा उसके उसकी **देखभाल हेतु प्रोत्साहित** किया जाए ।

निरन्तर......2,

8 पौधों का चयन करते समय **देशी वृक्ष प्रजातियों** को ही प्राथमिकता दी जावे जो क्षेत्र की **जैवविविधता का समर्थन** करते हों।

9. प्राथमिकता के आधार पर **बरगद, पीपल, नीम, सागौन, आम, जामुन सिस्सु, आंवला,** महुआ इत्यादि जैसी प्रजातियों का रोपण किया जाऐ।

10. रोपण के समय उचित रोपण तकनीकी का पालन सुनिश्चित किया जाऐ तथा **पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाऐ।**

11. पौधा रोपण के पश्चात पौधों की **देखभाल एवं रखरखाव की उचित व्यवस्था** के संबंध में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए।

12 "एक पेड़ माँ के नाम" पौधा रोपण कार्यक्रम में पौधा रोपण के साथ ही प्रतिभागी कर्मचारी/अधिकारी/छात्र–छात्राओं का फोटोग्राफ **वायुदूत (अंकुर) मोबाइल एप** पर अपलोड किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।

निर्देशानुसार कुल सचिव, समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश, सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल क्षेत्रांतर्गत आने वाले निजी विश्वविद्यालयों से एवं समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश अपने–अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी Meri Life पोर्टल (https://merilife.nic.in/) पर अद्यतन तत्काल करें तथा इसके उपरांत अद्यतन जानकारी एप्को को ई–मेल ed.epco@mp.gov.in पर एवं अकादमी शाखा के ईमेल acdemy-he@mp.gov.in पर दिनांक 05.10.2026 तक **अनिवार्य रूप से उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. दिनेश दवे)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक: 1296/264/आउशि/अकादमी/2026 भोपाल, दिनांक 11 /08/2026
प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्ष विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, कुलगुरू, समस्त राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल–462016 (मप्र.)
वेबसाईट : www.epco.mp.gov.in
दूरभाष: 0755-2460255, 2426765,
पत्र क्र. 1269 एप्को/ 2026
दिनांक 29/7/26

13565
30/7/26

BUH ahd
30.7.26

प्रति

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,
संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, भोपाल |

विषय: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के कार्य बिंदु पर कार्यवाही संबंधी |
सन्दर्भ:

i. अपर मुख्य सचिव, म. प्र.शासन, पर्यावरण विभाग का पत्र क्र. I/1060655/2026 भोपाल, दि.2-6-2026
ii. अपर मुख्य सचिव, म. प्र.शासन, पर्यावरण विभाग का पत्र क्र. 621/2026/66-1 भोपाल, दि.16-6-2026

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें | मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के अंतर्गत समस्त विभागों एवं जिला प्रशासन को वृक्षारोपण हेतु समन्वित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त अनुक्रम में "एक पेड माँ के नाम" अभियान अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग को छात्रों की सक्रिय भागीदारी से कालेज परिसर में उपलब्ध / सामुदायिक / सार्वजनिक भूमि अथवा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है | इस अभियान में कालेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी सम्मिलित किया जावे |

CHE

निर्देशानुसार अनुरोध है कि **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वृक्षारोपण कार्य संपादित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ साथ ही राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामांकित किया जावे | आपको यह भी अवगत कराना है कि अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शीघ्र प्रस्तावित है।

अभियान के अंतर्गत की गई प्रगति की जानकारी अनिवार्य रूप से Meri LiFE पोर्टल (https://merilife.nic.in/) पर अद्यतन की जाए तथा निर्धारित गूगल शीट (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUuPXWnSAPK7XOJ9GzZLJz5r-UiAPg2yTVc7X_JXffg/edit?usp=sharing) में भी प्रविष्ट की जाए। इसके उपरांत अद्यतन जानकारी एप्को को ई-मेल ed.epco@mp.gov.in के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में एप्को के श्री रामरतन सिमैया, विषय विशेषज्ञ, मोबाइल 94244-66469 से संपर्क किया जा सकता है |

संलग्न: उपरोक्तानुसार |

चर्चा

कार्यालय
आयुक्त उच्च शिक्षा
30 JUL 2026
OSD (DD)

(सुधीर कुमार कोचर)
कार्यपालन संचालक
28/7/26

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 621/2026/66-1 भोपाल, दिनांक 16/6/2026

प्रति

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय :- "एक पेड़ माँ के नाम" 2026 हेतु दिशा-निर्देश।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 से लेकर 21 जून 2026 योग दिवस तक राज्य शासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभियानों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों एवं मुख्य सचिव, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 3 जून 2026 को संपन्न समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में **"एक पेड़ मां के नाम अभियान"**, विश्व पर्यावरण दिवस एवं स्वच्छता अभियान के संबंध में इस परिपत्र के माध्यम से समन्वित निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

1. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, 5 जून 2024 को, माननीय प्रधानमंत्री ने **"एक पेड़ माँ के नाम/Plant4Mother"** अभियान की शुरुआत नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगा कर की थी। यह पहल नागरिकों को अपनी मां और धरती मां के प्रति प्रेम, सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। "एक पेड़ माँ के नाम" की गति को बनाए रखने के लिए, "Ek Ped Maa Ke Naam 2.0" को इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस - 5 जून 2026 के अवसर पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के रूप में आयोजित किया जाना है।
2. भारत सरकार द्वारा इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक सरकार एवं समाज के समस्त निकायों के समन्वित प्रयास एवं सक्रिय भागीदारी के द्वारा सफल बनाने के निर्देश दिए गये हैं।
3. इस अभियान को स्कूलों के माध्यम से मिशन LIFE के अंतर्गत इको क्लब्स की देखरेख में 5 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक क्रियान्वित किया जाना है। उक्त अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मौसम के अनुसार रोपण कार्य कराया जाना है। इस अभियान में कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी सम्मिलित किया जावे। पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी वृक्षारोपण गतिविधियों को पिछले वर्ष की तरह MeriLiFE पोर्टल (https://merilife.nic.in/) पर अंकित किया जाए। इस संबंध में सभी विभागों, संस्थाओं और संगठनों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जावें।
4. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त, वन विभाग और अन्य विभागों/संस्थाओं के द्वारा "Ek Ped Maa Ke Naam 2.0" अभियान के अंतर्गत रोपण कराया जायेगा। इसकी जानकारी MeriLiFE पोर्टल (https://merilife.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।
5. इस रोपण अभियान को प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे VB-G RAM G, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन के तहत भी क्रियान्वित किया जावेगा। इस समन्वय का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
6. जलग्रहण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन स्थलों पर रोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत किये गये रोपण कार्य नदी तट एवं उनके कैचमेंट क्षेत्र, नहरों/तालाबों के किनारे, अमृत सरोवर इत्यादि के जल संरक्षण, पुनर्भरण, पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे।

7. **अभियान के अंतर्गत प्रदेश में किये जाने वाले कार्यों का विवरण :**
   i. छात्रों की सक्रिय भागीदारी से स्कूल/कॉलेज परिसर एवं रोपण हेतु उपलब्ध सामुदायिक/सार्वजनिक भूमि अथवा बंजर भूमि पर रोपण किया जाएगा।
   ii. प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन / विरासत / तीर्थ स्थलों पर रोपण कार्य कराये जावेंगे। इसके साथ ही रोपण अभियान को सफल एवं सर्वव्यापी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पर्यावरण-संवेदनशील संदेशों के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
   iii. शहरी क्षेत्रों में पार्क, ग्रीन बेल्ट, नगर वन तथा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी, AMRUT (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सार्वजानिक स्थलों पर रोपण कार्य कराया जाए। नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) की सक्रिय भागीदारी से शहरी सौंदर्यीकरण गतिविधियों के तहत भी सामुदायिक रोपण को बढ़ावा दिया जाए।
   iv. राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य सड़कों के मध्य और किनारों पर स्थित वृक्षारोपण स्थलों की पहचान कर प्रचलित अधोसंरचना और हरित गलियारा परियोजनाओं के साथ इस रोपण अभियान को जोड़ा जाये।
   v. जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नदी किनारों, नहर बंधों, पुनर्भरण क्षेत्रों और अमृत सरोवरों के आसपास वृक्षारोपण गतिविधियों को लिया जाना है, ताकि जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन सुनिश्चित की जा सके।

8. **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों हेतु दिशा निर्देश:**
   i. **ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान की सहभागिता:** ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र में उपलब्ध बंजर / समुदायिक चिन्हांकित भूमि पर ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से भूमि की तैयारी, पौधरोपण और रखरखाव कार्य कराया जावे। इसके अतिरिक्त सम्बंधित विभागों द्वारा उनके द्वारा संचालित योजनाओं में नदी तटों, अमृत सरोवरों, नहरों और जलग्रहण क्षेत्रों के आसपास रोपण गतिविधियों का संपादन किया जाए। ग्राम पंचायतों / नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) के द्वारा सामुदायिक भूमि की पहचान कर, स्कूलों के साथ समन्वय से रोपण कार्य तथा पौधों की दीर्घकालिक देखभाल एवं निगरानी करने में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए।

   जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 अंतर्गत 05 जून 2026 से 21 जून 2026 के मध्य निम्नानुसार कार्यवाही कर क्रियान्वयन किया जाये।
   ii. **कार्यों का लोकार्पण** - पूर्व वर्षों में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लिए गए जल संरक्षण एवं संवर्धन के वे समस्त कार्य जो इस वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान में पूर्ण हो चुके है और इन कार्यों पर सामग्री और श्रम का सम्पूर्ण भुगतान हो चुका है, इन सभी कार्यों का समारोहपूर्वक लोकार्पण किया जाये।
   iii. **गैप फिलिंग** – मनरेगा अंतर्गत पौधारोपण परियोजनाओं में गैप फिलिंग हेतु जारी निर्देश क्र./I/1024830/2026/NR-3/2026 भोपाल दिनांक 19.05.2026 अनुसार चिन्हांकित विविध गतिविधियों को अभियान चला कर पूर्ण किया जाये। साथ ही इस प्रयोजन हेतु नियत गैप फिलिंग मोबाइल एप का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
   iv. **गहरीकरण हेतु संसाधन (श्रम, मशीनरी) उपलब्ध कराने हेतु समुदाय को प्रेरित करना - SIPRI** Software पर क्षेत्रफल के आधार पर तालाबों का वर्गीकरण उपलब्ध कराया गया है। अत: इनमें से 05 हेक्टेयर से कम तालाबों/ जल संग्रहण संरचनाओं का गहरीकरण समुदाय की सहभागिता (श्रम, मशीनरी) कराने के लिये कार्ययोजना बनायी जाये।
   v. **IEC गतिविधि** – "विकसित भारत - जी राम जी" अधिनियम के प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु IEC गतिविधियां क्रियान्वित की जाये।

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा ग्राम पंचायतों हेतु दिशा निर्देश

i. सभी ग्राम पंचायतों में सिंगलयूज्ड प्लास्टिक के उपयोग को कम/निषेध किये जाने हेतु जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जावे।

ii. ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर फैले प्लास्टिक कचरे को इकठ्ठा किये जाने एवं उसके उचित निष्पादन हेतु श्रमदान गतिविधि आयोजित की जावे।

iii. ग्रामों में दृश्य स्वच्छता हेतु कचरे के ढेरों / स्वच्छता लक्षित इकाईयों (GVP) को चिन्हित कर सामुदायिक श्रमदान के द्वारा स्वच्छ इकाईयों में परिवर्तित किया जावे।

iv. शासकीय कार्यालय भवन, स्कूल भवन, शासकीय छात्रावास एवं अन्य शासकीय संपत्तियों की रंगाई-पुताई कर उनको साफ स्वच्छ बनाये जाने की गतिविधियां आयोजित की जावे।

v. आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी निम्न प्रारूप में राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

क्र.	जिला	सिंगलयूज्ड प्लास्टिक के उपयोग को कम/निषेध किये जाने हेतु आयोजित गतिविधियों की संख्या	प्लास्टिक कचरा संग्रहण हेतु आयोजित गतिविधियों की संख्या	एकत्रित किये गये प्लास्टिक कचरे की मात्रा (कि.ग्रा. में)	निष्पादित किये गये प्लास्टिक कचरे की मात्रा (कि.ग्रा.में)	स्वच्छ इकाईयों में परिवर्तित की गई GVP की संख्या	साफ-स्वच्छ बनाये गये शासकीय भवनों की संख्या

9. **नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों हेतु दिशा निर्देश :**

विश्व पर्यावरण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मध्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्देश निम्न है

i. प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा 15 दिवस में कम से कम 500 पौधरोपण किया जाएगा। जिससे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पौधरोपण किया जा सके। नगरीय क्षेत्र में पूरे वर्ष में लगभग 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

ii. नगरीय निकायों के पास वन विभाग की नर्सरी द्वारा पौधे उपलब्ध कराये जाएँगे अतः उनसे समन्वय कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

iii. पिछले वर्ष में जो पौधारोपण किया गया है उसकी गैप फिलिंग भी अनिवार्य रूप से की जाये।

iv. निकाय में स्थित विद्यालयों/ महाविद्यालयों एवं सामाजिक संगठनों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा।

v. स्थानीय जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय तथा दीर्घजीवी वृक्ष प्रजातियों जैसे-महुआ, इमली, शीशम, पुत्रंजीवा आदि का चयन किया जाए।

vi. अभियान अंतर्गत पीपल, आम, बरगद, नीम आदि वृक्ष प्रजातियों के पौधरोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

vii. रोपित पौधों के संरक्षण, सिंचाई, सुरक्षा एवं रखरखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

viii. प्रत्येक पौधरोपण की जानकारी MeriLIFE Portal https://merilife.nic.in/login?l=2027 पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए।

ix. अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं IEC गतिविधियां आयोजित की जाए।

x. अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

xi. समय समय पर पौधारोपण हेतु संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

10. वन विभाग द्वारा अभियान की सहभागिता:

मध्यप्रदेश वन विभाग (वन विकास निगम, बाँस मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, जैव विविधिता बोर्ड, पर्यावरण वानिकी, राज्य लघु वन उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड) द्वारा समस्त जिलों में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 5.40 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। (सूची संलग्न है)

11. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अभियान की सहभागिता:

"एक पेड़ माँ के नाम" विशेष अभियान अंतर्गत फलदार वृक्षों का रोपण विभागीय योजनाओं एवं अन्य विभागों के अभिसरण, निजी प्रयासों से किया जाना है। प्रदेश में उद्यानिकी फल क्षेत्र विस्तार, उत्पादन, कृषकों की आय के स्थायी स्त्रोत में वृद्धि, भूमि का कटाव रुकेगा, जल संरचनाओ के जल स्तर में वृद्धि में, जैविक प्राकृतिक खेती आधारित फल क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पोषण स्तर में सुधार होगा। अभियान के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्न है

1. जिलों में जल संरचनाओं के आस-पास अभियान के तहत आम, अमरूद, संतरा, नींबू, मौसम्बी बेल, कटहल, आंवला, बेर, जामुन, नाशपाती, चीकू, सीताफल, इत्यादी बहुवर्षीय फल पौधों का रोपण किया जावे।
2. अभियान के तहत रोपित किये जाने वाले पौधों की व्यवस्था प्रथमतः विभागीय रोपणियों में उपलब्ध पौधों से की जावे।
3. ऐसे स्थानों का चयन किया जाये जहां सिंचाई हेतु वर्षभर पानी की उपलब्धता बनी रहे। कृषक अपने क्षेत्रों में नदियों के किनारे 3 किलोमीटर के अंदर जलाशयों एवं नालों के 01 किलोमीटर के अंदर वृक्षारोपण किया जाये।
4. अभियान के तहत जनसामान्य एवं कृषकों को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
5. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त रोपण मनरेगा/अन्य विभागों की योजनाओं के कनवर्जेन्स से एवं स्वयं निजी प्रयासों से फल पौर्धा का कार्य किया जावे।
6. अभियान के तहत चयनित हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं में प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से जागरुक किया जाये।
7. वृक्षारोपण के लिये 05 जून से 30 सितम्बर तक अवधि निर्धारित की गयी है।

12. पौधों का स्रोत:

प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा जिलों में रोपणियों का संचालन किया जाता है। अभियान के लिए आवश्यक पौधे वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, नगर निकायों एवं नगर पालिका इत्यादि द्वारा संचालित रोपणियों से उपलब्ध कराये जावेंगे। इस अभियान के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी इन पौधों को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करावेंगे।

13. डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अभियान का प्रचार

अभियान की पहुंच और रोपण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभियान की विषयवस्तु को ईको-फ्रेंडली संदेशों के माध्यम से विभिन्न डिजिटल / सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योजनाबद्ध रूप से प्रसारित करने का कार्य जाए।

14. प्रभावी समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला वृक्षारोपण समिति का गठन किया जाए। इसका उद्देश्य विभागों के बीच सुचारु क्रियान्वयन और समन्वय सुनिश्चित करना है। साथ ही, सभी संबंधित विभागों को अभियान के उद्देश्यों के अनुसार अपनी गतिविधियाँ संचालित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाए।
15. लगाए गए पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया को एक मानकीकृत प्रोटोकॉल के रूप में विकसित किया जावेगा, जिससे न केवल पिछले वर्ष लगाए गए पौधों का रखरखाव हो, बल्कि इस वर्ष लगाए जाने वाले पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
16. जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं संस्थाओं के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की जाए, जिसमें "एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान" के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी हेतु कार्य योजना (Action Plan) तैयार की जाए। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कुल पौधों की संख्या और माइक्रो फॉरेस्ट (Miyawaki) स्थलों के लक्ष्य पर भी सहमति बनाई जाए।
17. जिला कलेक्टर उपरोक्त सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर दिनांक 05 जून, 2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। योजना में स्कूल के छात्रों और अन्य विभागों / संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले कुल पौधों की संख्या और राज्य के भीतर बनाये जाने वाले माइक्रो फॉरेस्ट (मियावाकी) स्थलों की जानकारी सम्मिलित की जाए।
18. उपरोक्त अभियान का संचालन एप्को द्वारा किया जा रहा है । इस हेतु कार्यपालन संचालक, एप्को से टेलीफोन नंबरः- 0755 – 2466859 ; ईमेल आईडी ed.epco@mp.gov.in पर इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।
19. गूगलशीट लिंक - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUuPXWnSAPK7XOJ9GzZLJz5r-UiAPg2yTVc7X_JXffg/edit?usp=sharing पर जानकारी प्रेषित की जा सकती है।
20. "एक पेड़ माँ के नाम" पौधा रोपण कार्यक्रम में पौधा रोपण के साथ प्रतिभागी का फोटोग्राफ वायुदूत (अंकुर) मोबाइल एप लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpssdi.epcoplantation&pcampaignid=web_share पर अपलोड किया जावे। अपलोड करने हेतु प्रतिभागी द्वारा निम्नानुसार कार्य करना होगा:-
    - गूगल प्लेस्टोर से वायुदूत (अंकुर) एप को डाउनलोड करना।
    - एप डाउनलोड पश्चात प्रतिभागी अपनी इच्छानुसार भाषा हिन्दी/अंग्रेजी का चयन करें।
    - नागरिक (Citizen) लॉगिन पर क्लिक करें।
    - मोबाइल नम्बर दर्ज कर लॉगिन करें।
    - पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त कर वेरीफाई कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें।
    - वेरीफिकेशन उपरांत नया वृक्षारोपण (New Plantation) पर क्लिक करें।
    - मोबाईल की जीपीएस लोकेशन ऑन करें।
    - रोपित पौधे का फोटोग्राफ एप पर अपलोड करें।
21. उक्त फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया का प्रचार किया जाये। आपके जिले के लक्ष्य की पूर्ति अंकुर पर फोटो अपलोड की संख्या से मानी जावेगी।
22. कृपया विभागीय रूप से वृक्षारोपण और "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत वृक्षारोपण की सघन मानिटरिंग करें तथा प्रतिदिन उपलब्धियों की पोर्टल में प्रविष्टि की व्यवस्था करें ताकि प्रतिदिन प्रगति की रिपोर्ट से सर्वोच्च स्तर पर अवगत कराया जा सके।

"एक पेड़ माँ के नाम 2.0" अभियान का उद्देश्य धरती मां को हराभरा करने के लिए सक्रिय भागीदार युवा पीढ़ी को सतत विकास के प्रति जागरूक एवं समर्पित करना है। **"एक पेड़ माँ के नाम 2.0"** का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन न केवल मातृत्व की भावना को सम्मान देगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व की दिशा में हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करेगा। अभियान को सफलता दिलाने में आपका नेतृत्व, सक्रिय भागीदारी और सहयोग अपेक्षित है।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृ. क्रमांक 622/2026/66-1 **भोपाल, दिनांक** 16/6/2026

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, भोपाल, मध्यप्रदेश
6. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश
7. कार्यपालन संचालक, एप्को
8. समस्त वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/1060665/2026 भोपाल, दिनांक:02-06-2026

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर

मध्यप्रदेश

विषय :- "एक पेड मां के नाम" 2026 हेतु दिशा-निर्देश ।

1. "एक पेड मां के नाम" भारत सरकार का जन एवं सामुदायिक सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका शुभारंभ वर्ष **2024** में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस **05** जून **2024** को एक पौधा रोपित कर किया गया था ।
2. इस अभियान को इस वर्ष दिनांक **05** जून से **30** सितम्बर **2026** तक पूर्ण उत्साह एवं व्यापक रूप से प्रदेश आयोजित किया जाना है । इस हेतु अभियान की रूप रेखा एवं मार्गदर्शिका संलग्न है ।
3. कृपया अपने जिलों में "एक पेड मां के नाम" अभियान की कार्ययोजना तैयार कर दिनांक **05.06.2026** तक कार्यपालन संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को गूगल शीट लिंक (**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUuPXWnSAPK7XOJ9GzZLJz UiAPg2yTVc7X_JXffg/edit?usp=sharing**) के माध्यम से प्रेषित करें । पौधा रोपण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये इसे एक अभियान के रूप में लिया जाना है ।
4. पौधारोपण हेतु शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों इत्यादि बंद प्रांगणों में, जिसमें पौधे सुरक्षित रह सकें, ऐसे स्थलों का चयन किया जाये, साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थल पर पर्याप्त धूप तथा उचित जल निकासी की व्यवस्था हो। पौधों का चयन करते समय देशी वृक्ष प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी जावे जो क्षेत्र की जैवविविधता का समर्थन करते हों ।
5. रोपण के समय उचित रोपण तकनीक का पालन भी सुनिश्चित किया जावे तथा पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जावे। प्राथमिकता के आधार पर बरगद, पीपल, नीम, सागौन, आम, जामुन, सिस्सु, आंवला, महुआ इत्यादि जैसी प्रजातियों का रोपण किया जाये। पौधा रोपण के पश्चात पौधों की देखभाल एवं रखरखाव पर भी ध्यान दिया जावे जैसे समय-समय पर पानी, खाद, निंदाई जैसे कार्य भी किये जाये। वृक्षारोपण के लिये जुलाई-अगस्त की अवधि निर्धारित की जाती है।
6. उक्त पौधा रोपण कार्यक्रम के अतिरिक्त भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के निर्देशों के तारतम्य में **"#एक पेड़ माँ के नाम #Plant For**

Mother" से संबंधित अभियान हेतु मध्यप्रदेश में पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु उपरोक्त संलग्न गूगल शीट में अपने जिलों के लक्ष्य उल्लेखित करने का कष्ट करें। लक्ष्य अनुसार ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विद्यालय-महाविद्यालयों तथा जिला मुख्यालय के परिसर में अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण किया जाना है ।

7. "एक पेड़ माँ के नाम" पौधा रोपण कार्यक्रम में पौधा रोपण के साथ प्रतिभागी का फोटोग्राफ वायुदूत (अंकुर) मोबाइल एप पर अपलोड किया जावे। अपलोड करने हेतु प्रतिभागी द्वारा निम्नानुसार कार्य करना होगा:

- गूगल प्लेस्टोर से वायुदूत (अंकुर) एप को डाउनलोड करना।
- एप डाउनलोड पश्चात प्रतिभागी अपनी इच्छानुसार भाषा हिन्दी/अंग्रेजी का चयन करें।
- नागरिक लॉगिन पर क्लिक करें।
- पंजीकृत मोबाइल
- मोबाइल नम्बर दर्ज कर लॉगिन करें।
- नम्बर पर **OTP** प्राप्त कर वेरीफाई कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- वेरीफिकेशन उपरांत नया वृक्षारोपण **(New Plantation)** पर क्लिक करें।
- रोपित पौधे का फोटोग्राफ एप पर अपलोड करें।

8. उक्त फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया का प्रचार किया जाये। आपके जिले को प्रदाय लक्ष्य (संलग्न) की पूर्ति अंकुर पर फोटो अपलोड की संख्या से मानी जावेगी।

9. कृपया विभागीय रूप से वृक्षारोपण और "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत वृक्षारोपण की सघन मानिटरिंग करें तथा प्रतिदिन उपलब्धियों की पोर्टल में प्रविष्टि की व्यवस्था करें ताकि प्रतिदिन प्रगति की रिपोर्ट से सर्वोच्च स्तर पर अवगत कराया जा सके।

Digitally signed by
ASHOK BARNWAL
Date: 02-06-2026
21:12:59

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक I/1060665/2026 भोपाल, दिनांक 02-06-2026

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्कूल

शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल

3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल

4. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, भोपाल, मध्यप्रदेश

6. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश

7. कार्यपालन संचालक, एप्को

8. समस्त वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

पर्यावरण विभाग